


Form-III
फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाड़ा
~~श्रीमति मीना देवी पालि शंकर प्रसाद~~ बनाम ~~श्रीमती प्रिया चारा श्रीलक्ष्मी~~
~~विवाह के लिये~~ विवाह के लिये

क्रमांक 188, 209 R.T.A. प्रकरण संख्या 33/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
-------------	----------------------------------	--

22/6/17 पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्रीमती प्रिया चारा देवी
 पिता: शंकर प्रसाद जाति: चौधरी निवासी: केसरपुरा
 ने अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत
 प्रतिवादी सम्मती पिता: चारा श्रीलक्ष्मी निवासी: केसरपुरा
 के विरुद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर
 पत्रावली दिनांक 28/6/17 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 जिला बांसवाड़ा
 राजकोट

28/6/17 पत्रावली साफसुथरे पेश हुई। प्रतिवादी गजल के सम्मन जारी
 होकर बाद तामील अहकाम हुके। पत्रावली साफसुथरे पत्रावली
 दिनांक 5/7/17 को पेश हो।

5/7/17 पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित प्रतिवादी गजल उपस्थित
 पत्रावली साफसुथरे पत्रावली दिनांक 16/8/17 को पेश हो।

16/8/17 पत्रावली पेश हुई। कनिष्ठा गजल साफसुथरे पत्रावली
 पेश हुई। पत्रावली गजल साफसुथरे दिनांक 25/9/17 को
 पेश हो।

